अध्याय 1: परिचय

'परियोजना आयात' औद्योगिक संयंत्र लगाने या औद्योगिक संयंत्रों में महत्वपूर्ण विस्तार में सुविधा प्रदान करने हेतु भारत सरकार की एक योजना है जिसमें इन औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पूँजीगत वस्तुओं एवं इससे जुड़ी वस्तुओं का आयात करने में सुविधा प्रदान किया जाता है। इस योजना से वर्गीकरण और मूल्यांकन की सरलीकृत प्रक्रिया प्रदान करते हुए आयात का सुगम एवं शीघ्र निर्धारण का लक्ष्य पूरा किए जाने की अपेक्षा की जाती है। इस योजना के तहत एक परियोजना के लिए आयातित सभी वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के एक अध्याय शीर्ष 9801 के तहत वर्गीकृत किया जाता है और एक एकीकृत सीमाशुल्क दर पर निर्धारण किया जाता है; भले ही अन्य शीर्षों में ये वस्तुएं अधिक विशेष रूप से शामिल हों।

इस योजना के तहत औद्योगिक संयंत्र को किसी उत्पाद के निर्माण, उत्पादन या निष्कर्षण हेतु आवश्यक किसी एक प्रक्रिया या कई प्रक्रियाओं के निष्पादन में सीधे नियोजित किए जाने हेतु बनी औद्योगिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि, इसमें होटलों, अस्पतालों, फोटोग्रॉफिक स्टूडियो, फोटोग्रॉफिक फिल्म प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं, फोटोकॉपी करने वाले स्टूडियो, लांड्रीज़, गैरेज और प्रयोगशालाओं जैसी कोई विशिष्ट सेवा प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है। योजना निम्नलिखित क्षेत्रों के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए है:

1. औद्योगिक संयंत्र
2. सिंचाई परियोजना
3. विद्युत परियोजना
4. खनन परियोजना
5. तेल/खनिज दोहन परियोजना
6. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परियोजना

1.1 वैधानिक प्रावधान

परियोजना आयात योजना का अभिशासन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है:

1. सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 98.01 और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 98 का अध्याय नोट;

2. पीआईआर 1965 के अधिक्रमण में अप्रैल 1986 में अधिसूचित परियोजना आयात विनियम, 1986 (पीआईआर, 86);
3. सीटीएच 98.01 के तहत आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त सीमाशुल्क (सीवीडी) और मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) से छूट/रियायती दर लगाने हेतु 17 मार्च 2012 की सामान्य छूट अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क, बशर्ते कि प्रत्येक प्रविष्टि के प्रति विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ या उनके बिना;
4. समय-समय पर संशोधित कुछ विनिर्दिषट परियोजना आयात हेतु विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क के भुगतान से छूट के लिए दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं.21/2012-सीमाशुल्क;
5. विशिष्ट अधिसूचनायें जारी करके योजना के तहत लाभ हेतु सरकार द्वारा अधिसूचित परियोजनायें;
6. केंद्रीय बोर्ड, उत्पाद एवं सीमाशुल्क (सीबीईसी) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र।

1.2 पंजीकरण, आयात, परियोजना आयात के अंतर्गत माल का आंकलन

योजना का कार्यान्वयन पीआईआर, 1986 के विनियम 1 से 7 द्वारा अभिशासित होता है। परियोजना आयात योजना केवल वस्तुओं के आयात से पूर्व पंजीकृत अनुबंधों के तहत आयातित और प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा पूर्णतः सत्यापित, आयात की जाने वाली वस्तुओं की विस्तृत मदवार सूची के साथ विनिर्दिष्ट प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं पर ही लागू होता है। प्रायोजक प्राधिकरण को पीआईआर के तहत परिभाषित किया गया है और यह परियोजना की प्रकृति पर निर्भर करता है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकार के विभागों को प्रायोजक प्राधिकरण के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

एक परियोजना आयात अनुबंध, परियोजना पर प्रायोजक प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद ही पंजीकरण हेतु अर्हक होगा। एक अनुबंध को फिर से दो उप-अनुबंधों में बॉटा जा सकता है और सीमाशुल्क प्राधिकरणों के पास अलग-अलग पंजीकरण कराया जा सकता है। दूसरे शब्दों में एक परियोजना आयात योजना के अंतर्गत कई उप-अनुबंध हो सकते हैं।

नीचे दिए गए चार्ट में योजना के कार्यान्वयन का सार प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 1: प्रवाह चार्ट-परियोजना आयात योजना का कार्यान्वयन

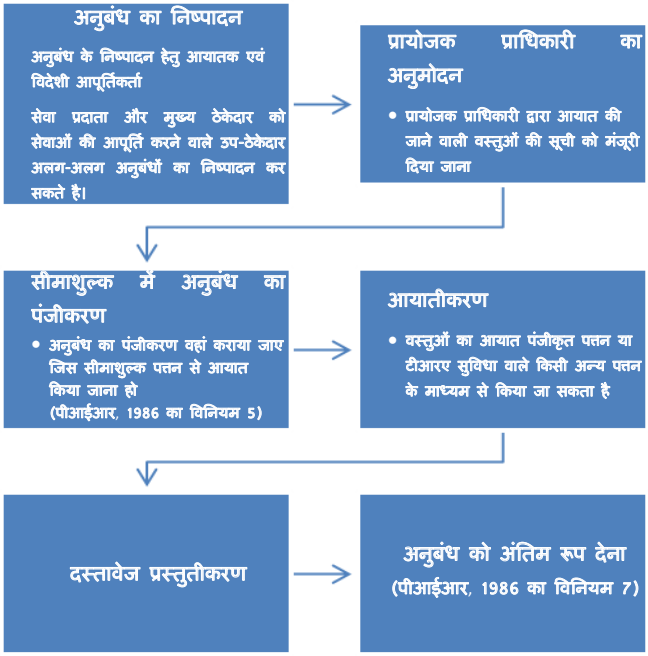

अर्हता, पंजीकरण, आयातीकरण, आयातिति वस्तुओं, संयंत्र स्थल सत्यापन (पीएसवी) और निर्धारण/ठेका प्रक्रियाओं का सार **परिशिष्ट 1** में दिया गया है।

1.3 पंजीकृत ठेके की प्रवृति और ठेके का मूल्य

परियोजना आयात के लिए पंजीकृत ठेकाओं की संख्या तथा वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान पंजीकृत ठेकाओं के मूल्य में गिरावट दर्ज की गई।

पिछले पांच वर्षों में पंजीकृत ठेकाओं की संख्या वि.व. 12 में 264 से 49 प्रतिशत गिरकर वि.व. 16 में 134 रह गई थी।

तालिका 1: पिछले पांच वर्षों में पंजीकृत ठेकाओं की संख्या

वर्ष	पंजीकृत ठेकाओं की संख्या
2011-12	264
2012-13	221
2013-14	186
2014-15	149
2015-16	134

स्रोत: सीबीईसी (डीजीपीएम)

चित्र 2: परियोजना आयात ठेकाओं की संख्या एवं पंजीकृत मूल्य (₹ करोड़ में)

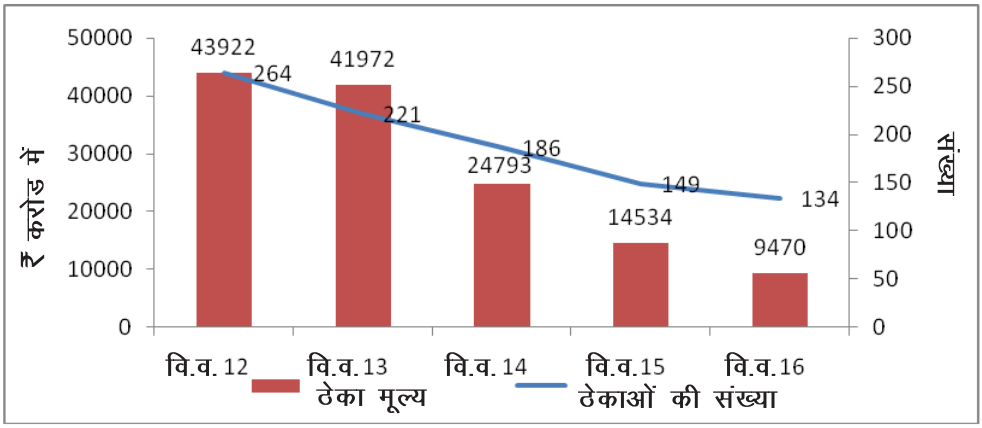

स्रोत: सीबीईसी (डीजीपीएम)

गिरती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है कि पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए ईपीसीजी/शून्य शुल्क ईपीसीजी जैसी अन्य योजनाओं के कारण आयातक इस योजना का सहारा नहीं लेते जिसे परियोजना आयात के बाद शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत आयातक यह लाभ या इससे अधिक लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, तथ्य कि पूरे सीमाशुल्क दरों को ठीक कर लिया गया है और उच्च शुल्क दर 10 प्रतिशत की औसत दरों पर हैं, परियोजना आयात से आयातकों को बहुत अधिक लाभ की संभावना प्रतीत नहीं होती।

1.4 योजना के अंतर्गत सीमाशुल्क राजस्व

महानिदेशालय (प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन) के अनुसार, इस योजना के तहत 50 ईडीआई पत्तनों में वि.व. 2012 से वि.व. 2016 के बीच संग्रहीत कुल सीमाशुल्क राजस्व ₹ 8,089.68 करोड़ था। हालांकि, परियोजना आयात के तहत संग्रहीत राजस्व में 2011-12 से 2015-16 में 40 प्रतिशत तक की गिरावट आई। कुल संग्रहीत राजस्व की प्रतिशतता के रूप में परियोजना आयात का योगदान लेखापरीक्षा समीक्षा के तहत पांच वर्षों की अवधि में 3 प्रतिशत से भी कम रहा है **(परिशिष्ट 2)**।

वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान योजना के तहत छोड़ा गया कुल राजस्व ₹ 10,545.30 करोड़ था।

चित्र 3: निर्धारणीय मूल्य, संग्रहीत शुल्क और छोड़े गये शुल्क की प्रवृत्तियां

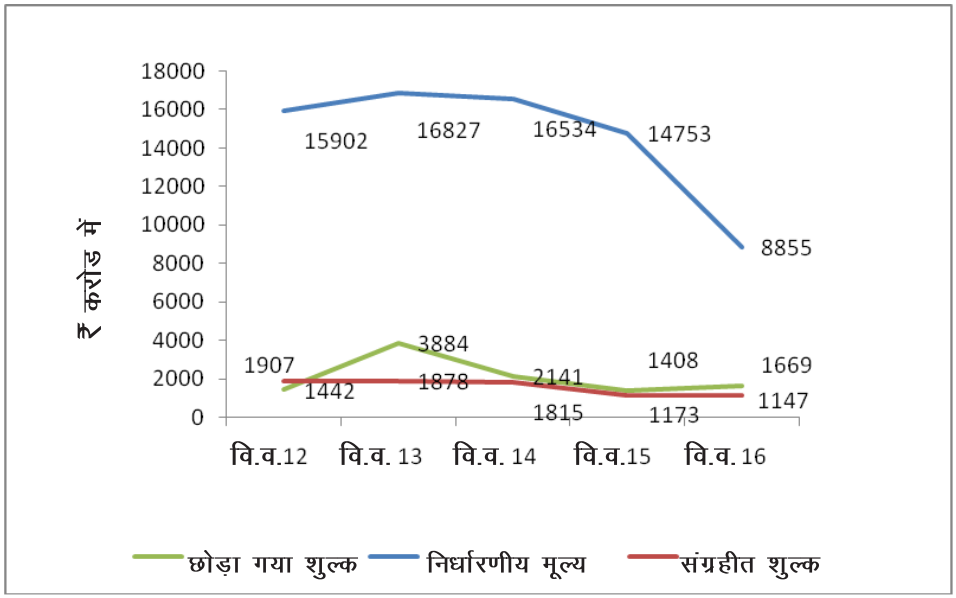

स्रोत: डीजी (प्रणाली) और सीबीईसी (डीजीपीएम), नई दिल्ली

50 पत्तनों में से मुंबई समुद्र, चेन्नई समुद्र, कोलकाता समुद्र और न्हावा सेवा समुद्र का राजस्व योगदान इस अवधि के दौरान 71 प्रतिशत (₹ 5,708.04 करोड़) था और शेष 46 पत्तनों का योगदान 29 प्रतिशत (₹ 2,381.64 करोड़) था।

1.5 क्षेत्र वार परियोजना आयात

इस योजना के तहत आयात का क्षेत्रवार वर्गीकरण दर्शाने के लिए डीजी (प्रणाली) से प्राप्त डाटा का विश्लेषण किया गया। वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान क्षेत्रवार आयात, चित्र 4 में दिया गया है।

चित्र 4: वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान क्षेत्रवार आयात

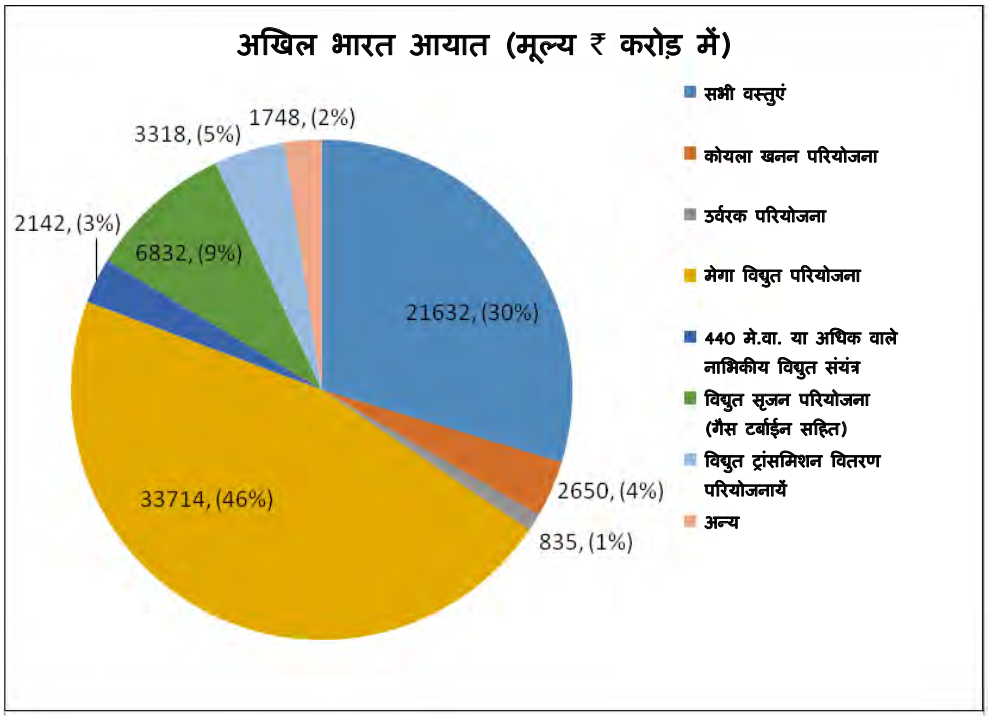

स्रोत: डीजी (प्रणाली)

आयात के क्षेत्रवार मूल्य के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं का आयात परियोजनाओं के लिए अर्हक सभी क्षेत्रों के बीच परियोजना आयात का सर्वाधिक शेयर था। विद्युत क्षेत्र के भीतर आयात का सर्वाधिक मूल्य मेगा विद्युत परियोजनाओं का था उसके बाद क्रमश: विद्युत सृजन परियोजनाओं, विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण परियोजनाओं तथा नाभिकीय संयंत्र परियोजनाओं का था। सभी वस्तुओं जिन्हें छूट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अलावा संयंत्र एवं मशीनरी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, वे परियोजना आयात के दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी थी। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसमें कोयला खनन परियोजनायें तथा उर्वरक परियोजनायें थी **(परिशिष्ट 2)**।